श्री आदित्य विक्रम बिरला मेमोरियल व्यापार सहयोग केंद्र

समाजोत्थान की दिशा में एक "अनूठा प्रयास"

<u>स्थापना एवं उद्देश्य:-</u>

माहेश्वरी समाज एक जागरूक, चिन्तनशील, प्रबुद्ध एवं संवेदनशील समाज कहलाता है. सोने पे सुहागा ये है कि अपना समाज उद्यमी, उन्न्त व समृद्ध भी है.

समाज की समृद्धि की यशोगाथा के समानांतर एक कड़वा सच यह भी है, अपने समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो आर्थिक दृष्टि से इतना संपन्न नही है. एक सर्वेक्षण के अनुसार अपने समाज की कुल जनसंख्या अनुमानत: 12.50 लाख है, जिनमें से 10% परिवारों की मासिक आय रू 10000 से भी कम है.

अत: ऐसे समाज बंधुओं में उद्यशीलता विकसित कर उद्यमी बनाने अथवा ऐसे समाज बन्धु जो अपने छोटे मोटे व्यवसाय या उद्योग में लिप्त/लगें तो हैं पर आर्थिक दृष्टि से संघर्ष रत हैं उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से इस सहयोग केंद्र की परिकल्पना की गई.

अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के 23 वें सत्र में **महासभा के तत्कालीन सभापति श्री बंशीलालजी राठी** ने व्यावसायिक सहयोग परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया. अपने समाज की महान विभूति स्व. बाबु आदित्य विक्रम बिरला की स्मृति में इस ट्रस्ट का नाम **"आदित्य विक्रम बिरला मेमोरियल व्यापार सहयोग केंद्र"** रखा. 15 अगस्त 1999 को चेन्नई में देश के **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री रमेशचंद्रजी लाहोटी** एवं **अदित्य बिरला समूह की चेयर पर्सन पद्मभूषण श्रीमती राजश्रीजी बिरला** के कर कमलों से इस केंद्र की स्थापना की गई. इस सहयोग केंद्र का मूल उद्देश्य व्यवसाय या उद्योग हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है ताकि समाज बन्धु उद्यमशील और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें.

इस ट्रस्ट एवं अपने समाज का सौभाग्य है कि **समाज सेवी श्रीमती राजश्रीजी बिरला** ने संस्था की स्थापना से लेकर आज इस केंद्र के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है. इस केंद्र के गठन के समय बिरला परिवार ने 51 लाख का सहयोग दिया था, तत्पश्चात योजना की सफलता एवं सार्थकता के मद्देनजर बिरला परिवार ने सहयोग राशी को बढ़ा कर 602 लाख पहुंचा दिया है. केंद्र की कुल कायिक निधी (corpus fund) Rs. 23.55 करोड़ है, 31-12-16 तक कुल 5048 परिवारों में करीब Rs.40.50 करोड़ की ऋण सयाहता दी जा चुकी है. योजना में मात्र 20 से 30 हजार रुपये प्रति व्यक्ति के सहयोग का भी प्रावधान है, ऐसे लाभार्थियों का एक अलग वर्ग है, जिसके अंतर्गत करीब 1350 परिवार लाभान्वित हुए हैं.

<u>योजना में ऋण सीमा एवं ऋण वापसी एवं सेवा शुल्क संबंधी संक्षिप्त जानकारी:-</u>

इस योजना के तहत सामान्यत: अधिकतम 2 लाख रूपए तक की ऋण राशी दी जाती है, पर विशिष्ट परिस्थिति में अधिकतम सीमा को बढ़ा कर 3 लाख रूपए किए जाने का प्रावधान है. ऋण राशी का 25% पूंजी लाभार्थी की स्वयं की होनी अनिवार्य है. ऋण पर 6% की दर से सेवा शुल्क लिया जाता है. ऋण को

त्रय मासिक क़िस्त में बैंक ड्राफ्ट द्वारा या ECS द्वारा 4 से 5 वर्ष की मियादी अवधि में वापस करना रहता है. सभी किस्तों का समयनुसार भुगतान किए जाने पर सेवा शुल्क में 1% की रियायत दी जाती है.

<u>लाभार्थी/जामीन दाता के लिए आवश्यक मर्यादाएं:-</u>

1. आर्थिक रूप से कमजोर कोई भी महेश्वरी बंधु इस योजना का लाभ ले सकता है.
2. जमानत दाता की मर्यादाएं,
    - एक जमानत दाता सिर्फ 1 व्यक्ति के लिए जमानत दार बन सकता है.
    - 1 लाख तक के ऋण हेतु 1000 रुपए का आयकर और 1 लाख से ऊपर के ऋण हेतु 2000 रूपए का आयकर भरनेवाला आयकर दाता जमानत दार बन सकता है.
    - स्वयं के नाम की जमीन जायदाद का मालिक जमानत दार बन सकता है.
    - दोनों जमानत दाता लाभार्थी के परिवार के नही होने चाहिए
    - दोनों जमानत दाता एक ही परिवार के नही होने चाहिए

आवश्यक दस्तावेजों की सूची:-

1. साफ साफ अक्षरों में भरा हुआ आवेदन पत्र (आवेदन पत्र ट्रस्ट के कार्यालय से मंगवाना पड़ेगा)
2. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी आवेदन पत्र में भरनी पड़ती है.
3. आवेदक का परिवार एकल हो व्यक्तिगत वार्षिक आय, व्यय एवं वयवसाय अथवा संयुक्त परिवार हो तो पूरे परिवार की वार्षिक आय, व्यय एवं व्यवसाय की जानकारी आवेदन पत्र में भरनी पड़ती है.
4. सहयोग लेने का उद्देश्य एवं सहयोग राशी के रकम की जानकारी आवेदन पत्र में भरनी पड़ती है.
5. अगर वर्तमान में को व्यापार चल रहा है तो उसकी विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र में भरनी पड़ती है..
6. पारिवारिक स्थाई व अस्थाई संपत्ति की जानकारी आवेदन पत्र में भरनी पड़ती है.
7. आवेदन के साथ 2 जमानत दार का होना अनिवार्य है, आवेदक द्वरा ऋण की अदायगी में किसी भी तरह की चूक की परिस्थिती में केंद्र को ऋण लौटने की सम्पूर्ण जवाबदारी जमानतदार की रहेगी. एतदर्थ डीड आफ गारंटी बनाई जाती है.
8. आवेदन पत्र में सहयोग केंद्र के ट्रस्टी/सदस्य, महासभा के कार्य समिती/कार्यकारी मंडल के सदस्य, क्षेत्रीय या जिला सभा के अध्यक्ष, महिला संगठन एवं युवा संगठन के पदाधिकारी की सिफारिस/अनुमोदन आवश्यक है.
9. आवेदन पत्र में प्रदेश अध्यक्ष का अनुमोदन आवश्यक है.
10. सरकारी मान्यता पात्र कोई भी फोटो ID की प्रमाणित नक़ल
11. लाभार्थी के बैंक अकाउंट की विस्तृत जानकारी (बैंक का नाम एवं शाखा, पूरा पता, IFSC code तथा चेक के पन्ने की नकल)

12. उसके स्थाई व अस्थाई पते को प्रमाणित करता किसी सरकारी मान्यता पात्र दस्तावेज की प्रमाणित नक़ल
13. आवेदक के पिछले 3 वर्षों के आयकर विवरणिका, आय व्यय पत्रक, बेलेंस शीट एवं व्यवसाय संबंधित विस्तृत जानकारी आदि की प्रमाणित नक़ल
14. आवेदक परिवार के नाम से कोई चल अचल संपत्ती हो तो उसके दस्तावेजों की प्रमाणित नक़ल
15. व्यवसाय की रूप रेखा (Project Report), गुंजाईश (Scope of business), आगामी 3 वर्षो का अनुमानित आय व्यय पत्रक व बेलेंस शीट
16. आवेदक को घोषणा पत्र, दायित्व पत्र एवं मालबंधक दस्तावेज केंद्र द्वारा प्रदत्त प्रारूप में (Deed of undertaking & Hypothecation in prescribed format) भरना पड़ता है.
17. 2 व्यक्तियों के जमानती दस्तावेज केंद्र द्वारा प्रदत्त प्रारूप में (Deed of Guarantee in prescribed format) बनाने पड़ते हैं.
18. जमानत दाता के वर्तमान आयकर रिटर्न की नक़ल या उसके नाम की जायदाद के आधिकारिक प्रशासनिक दस्तावेज, जायदाद का मुल्यांकन व टेक्स की रसीद की प्रमाणित नक़ल
19. जमानत दाताओं का दायित्व पत्र केंद्र द्वारा प्रदत्त प्रारूप में (Undertaking of the Guarantor in prescribed format)

आवश्यक संपर्क सूत्र :-

1. क्षेत्र, जिला एवं प्रदेश अध्यक्ष
2. सहयोग केंद्र के ट्रस्टी/सदस्य, महासभा के कार्य समिती/कार्यकारी मंडल के सदस्य, प्रदेश सभा के अध्यक्ष, महिला संगठन एवं युवा संगठन के पदाधिकारी
3. महासभा के सभापति/मंत्री कार्यालय

<u>कार्यालय :-</u>

श्री आदित्य विक्रम बिरला मेमोरियल व्यापार सहयोग केंद्र

4, रामानन रोड, चेन्नई 600 079 (तमिलनाडु)

फोन: 044-2529 9052; 2529 9053; 4359 9052

Email: avbmkendra@gmail.com: Website: avbmkendra.in

PS: ये सूचनाएँ योजना की संक्षिप्त जानकारी हेतु सारांश के तौर पर प्रकाशित है. विस्तृत जानकरी आवेदन पत्र के साथ एवं ट्रस्ट के कार्यालय पर उपलब्ध है; व्हावाहरिक तौर पर ट्रस्ट का विधान एवं नियमावली तथा व्यवस्थापकों का निर्णय अंतिम रूप से मान्य रहेगा.